न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
26/2023	27.02.2023	11.03.2024

उनवान

1. कमला पुत्री जानकीलाल छीपा जाति टेलर आयु वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रानी पुत्री जानकीलाल छीपा जाति टेलर आयु वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. उंकार लाल पुत्र स्व0 हीरा लाल छीपा जाति टेलर आयु वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गीता पुत्री स्व0 हीरा लाल छीपा जाति टेलर आयु वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. चान्दमल पिता स्व0 हीरा लाल छीपा जाति टेलर आयु वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. मिठु पुत्री स्व0 हीरा लाल छीपा जाति टेलर आयु वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. सांवर लाल पुत्र स्व0 जानकीलाल छीपा जाति टेलर आयु वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

अप्रार्थीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण मांगीलाल सेन
अधिवक्ता प्रार्थीगण कन्हैया लाल सेन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण 01 से लगायत 04 श्रवण कुमार सेन

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 11.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का तिलोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 937, 938, 939, 940/2, 941/2, 943, 944, 945/2 कुल किता 08 कुल रकबा 2.5796 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 940/1, 941/1 945/1, कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 942/1, रकबा 0.0379 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम टमू पुत्री जानकीलाल के बजाय कमला पुत्री जानकीलाल एवं राजी पुत्री जानकीलाल के बजाय रानी पुत्री जानकीलाल अंकित है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में , टी0सी0, जन्म प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत सांगवा का प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 04 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब पेश हुआ। विपक्षीगण अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में सहमति प्रकट की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए ग्राम एकलिंगपुरा की जमाबंदी सम्वतृ 2072–2075 में टमु पुत्री जानकीलाल एवं राजी पुत्री जानकीलाल दर्ज रेकार्ड है। जबकि टमु पुत्री जानकीलाल का वास्तविक नाम कमला पुत्री जानकीलाल एवं राजी पुत्री जानकीलाल का वास्तविक नाम रानी पुत्री जानकीलाल दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम एकलिंगपुरा के आराजी नम्बरः 937, 938, 939, 940/2, 941/2, 943, 944, 945/2 कुल किता 08 कुल रकबा 2.5796 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में प्रार्थीगण का नाम कमला की बजाय टमू अंकित है और रानी के बजाय राजी अंकित है। एवं खाता संख्या 328 में भी टमू एवं राजी अंकित है और खाता संख्या 358 में प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर टमू पुत्री जानकीलाल के बजाय कमला पुत्री जानकीलाल छीपा एवं राजी पुत्री जानकीलाल के बजाय रानी पुत्री जानकीलाल छीपा नाम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का तिलोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः : 937, 938, 939, 940/2, 941/2, 943, 944, 945/2 कुल किता 08 कुल रकबा 2.5796 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 940/1, 941/1 945/1, कुल किता 03 कुल रकबा 1.2645 हैक्टयर भूमि की र्तमान जमाबन्दी में अंकित टमु पुत्री जानकीलाल छीपा के बजाय कमला पुत्री जानकीलाल ीपा एवं राजी पुत्री जानकीलाल छीपा के बजाय रानी पुत्री जानकीलाल छीपा नाम दुरूस्त रने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज र पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ सीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आव्हाद निर्मल सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा